

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

12/07/2022 माननीय राजस्व मंत्रालय, राजस्थान, अजमेर
द्वारा पत्र क्रमांक बीआ/TA/2020/316/अजमेर
क्रमांक 06.07.2022 से निगरानी में पारित
विषय क्रमांक 24.06.2022 से प्रमाणित प्रति के
आशय T.I. पत्रावली प्राप्त होकर चेखा छई है।
सूचक मद निर्धारित होने से T.I. पत्रावली का
कोई औचित्य न होने से निगरानी खारिज
की जा चुकी है। संग्रह पत्रावली का आवेदन
प्रिमा जाकर T.I. पत्रावली औचित्यपूर्ण होने से
दस्तावेजों द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली केवल
सूचक होकर नंबर के काम होकर दायित्व
रखकर है।

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

